

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संसाधन : एफ 4 (22) आकाश/नि.स./2011/64-5
आदेश

दिनांक- 07.04.2017

राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2016-17 से निम्नलिखित महाविद्यालय को पूर्व संश्लिष्ट कला संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-


क्र. सं.	पत्रा. महाविद्यालय का नाम व श्रेणी	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
22	सरोज्य महिला महाविद्यालय, पागोदीरा, बांसवाड़ा।	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- कला स्नातक स्तर पर 1- हिन्दी साठ, अंग्रेजी साठ, इतिहास, संस्कृत साठ, राजनीति विज्ञान, भूगोल।

1. संश्लिष्ट विश्वविद्यालय एवं वी.सी.आई.से संबद्धता प्राप्त करने का भावित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अत्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राध्याप्य एवं च्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कमी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृतित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र के काम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विभिन्न महाविद्यालयों को वी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृतित कर लिया जायेगा।


आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आठ मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. संचालक शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. शक्ति पत्रावली।


PRINCIPAL

Sarodava Mahila College


संयुक्त-निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर